मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर-दिसम्बर, 2011 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 29 नवम्बर, 2011 (अग्रहायण 8, 1933)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 23 सन् 1991) की धारा 17 की अपेक्षानुसार रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010 (दिनांक 1 जुलाई, 2009 से दिनांक 30 जून, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष का) पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य, जिला सिवनी के जनपद केवलारी में जनप्रतिनिधियों के साथ मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री के.पी. सिंह "कक्काजू" , सदस्य, शिवपुरी जिले की पिछोर कृषि उपज मण्डी की भूमि पर अतिक्रमण होने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निवार्चन क्षेत्र क्रमांक 197 गंधवानी (अ.ज.जा) से निर्वाचित सदस्य, श्री उमंग सिंघार को नवम्बर-दिसम्बर, 2011 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्रीमती उमा देवी खटीक, सदस्य, दमोह जिले के -
- (क) ग्राम हिनौतिया कला की प्राथमिक कन्या शाला का उन्नयन किये जाने,
- (ख) ग्राम मुराछ में नवीन पुलिस थाना खोले जाने, तथा
- (ग) ग्राम गरेहं में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(2) श्री ताराचन्द बावरिया, सदस्य, छिंदवाड़ा जिले के -
- (क) विकास खंड परासिया में कन्या महाविद्यालय खोले जाने,
- (ख) परासिया में ए.डी.जे. कोर्ट खोले जाने,
- (ग) ग्राम पंचायत उमरेठ को नगर पंचायत में उन्नयन किये जाने, तथा
- (घ) पेंचवेली महाविद्यालय में एम.एस.सी गणित एवं समाज शास्त्र विषय खोले जाने,

(3) श्री राजकुमार उरमलिया, सदस्य, रीवा जिले के -
- (क) ग्राम खरपटा, भनिगवां, बजरहा टोला के महाना नदी पर पुल निर्माण किये जाने,
- (ख) ग्राम डभौरा में सामुदायिक उप स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा दिये जाने,
- (ग) ग्राम अतरैला में कृषि उपज मंडी खोले जाने,
- (घ) ग्राम सुरहा से खम्हरिया मार्ग निर्माण किये जाने,
- (ङ) उमरी मोड़ से बदराव तिवरियान मऊ मार्ग निर्माण किये जाने, तथा
- (च) माध्यमिक शालाओं बरेती कला, धूमन डोल आदि का उन्नयन किये जाने,

(4) कु. विक्रम सिंह उर्फ नाती राजा, सदस्य, छतरपुर जिले के -
- (क) ग्राम खर्रोही के अमवाखर पुरवा में आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जाने,
- (ख) ग्राम परसनिया की माध्यमिक शाला का उन्नयन किये जाने,
- (ग) ग्राम परा से कर्री तक मार्ग निर्माण किये जाने, तथा
- (घ) ग्राम चन्द्रनगर के कन्या शासकीय प्राथमिक शाला का उन्नयन किये जाने,

(5) डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी, सदस्य, सागर जिले के -
- (क) ग्राम बिरहना में पत्थर उत्खनन कार्य बंद किये जाने,
- (ख) बीना में महिला थाना खोले जाने,
- (ग) ग्राम बेलई में माध्यमिक शाला का उन्नयन किये जाने,
- (घ) ग्राम भानगढ़ के आदिवासियों को भूमि के पट्टे दिये जाने,
- (ङ) ग्राम मंडी बामौरा बस स्टैण्ड पर सुलभ शौचालय का निर्माण किये जाने, तथा
- (च) बीना तहसील कार्यालय रेल्वे फाटक पर अण्डर ब्रिज निर्माण किये जाने,

(6) श्रीमती पन्ना बाई प्रजापति, सदस्य, रीवा जिले के -

(क) मनगवां में शासकीय महाविद्यालय खोले जाने,

(ख) लालगांव-रौझोही, जनकहाई सोनवर्षा पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने, तथा

(ग) ग्राम गंगेव में पुलिस चौकी खोले जाने,

(7) श्री देवी सिंह पटेल, सदस्य, बड़वानी जिले के -

(क) ग्राम ठीकरी-पिपरी को नगर पंचायत बनाये जाने,

(ख) ग्राम भुलगांव डेब नदी पर स्टाफ डेम निर्माण किये जाने,

(ग) ग्राम किरमोड़ी से बावडिया मार्ग का डामरीकरण किये जाने,

(घ) ग्राम पिपरी डेब से रणगांव डेब तक मार्ग एवं रपटा निर्माण किये जाने, तथा

(ङ) ग्राम बादर कच्छ के माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने,

(8) श्री हेमराज सिंह कल्पोनी, सदस्य, राजगढ़ जिले के -

(क) ग्राम बासखेड़ा के शासकीय हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने,

(ख) ग्राम तुमड़ियाखिरी के शासकीय माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने, तथा

(ग) ग्राम बासखेड़ी में नवीन विद्युत ग्रिड स्वीकृत किये जाने,

(9) श्री गौतम टेटवाल, सदस्य, राजगढ़ जिले के -

(क) खण्डावता के खंजरपुर मार्ग पर पुलिया निर्माण किये जाने,

(ख) सारंगपुर सिविल अस्पताल भवन का कार्य शीघ्र प्रारंभ किये जाने,

(ग) ग्राम भेसवामाता में विश्राम गृह, सुलभ काम्पलेक्स निर्माण किये जाने, तथा

(घ) ग्राम साबरस्या में नवीन विद्युत गृह की स्थापना किये जाने,

(10) श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा, सदस्य, देवास जिले के -

(क) ग्राम पराड़िया के शासकीय विद्यालय का उन्नयन किये जाने,

(ख) ग्राम पंचायत ढाबला जागीर में सी.सी. रोड निर्माण किये जाने,

(ग) ग्राम बरखेड़ा में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने, तथा

(घ) ग्राम जगदीशपुर डी.पी. ट्रांसफार्मर लगाये जाने,

(11) श्री गिरिराज किशोर (राजू) पोद्दार, सदस्य, कटनी जिले के -

(क) ग्राम उमरिया में नल जल योजना प्रारंभ किये जाने, तथा

(ख) ग्राम बसुधा में स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(12) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी, सदस्य, खरगौन जिले के -

(क) बड़वाह के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की बाउंड्रीवाल निर्माण की स्वीकृति दिये जाने, तथा

(ख) तहसील बड़वाह के वन व्यावस्थापित ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित किये जाने,

(13) श्री रोडमल राठौर, सदस्य, उज्जैन जिले के ग्राम पंचायत पचोला में स्थित तालाब का गहरीकरण किये जाने, एवं

(14) श्री अहिरवार रामदयाल, सदस्य, छतरपुर जिले के प्रकाश बम्हौरी से चंदवारा सड़क मार्ग निर्माण तथा नाले पर रपटा निर्माण किये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 36 सन् 2011) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 37 सन् 2011) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 38 सन् 2011) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(4) श्री गौरीशंकर बिसेन, सहकारिता मंत्री, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 44 सन् 2011) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(5) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वेट (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 45 सन् 2011) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(6) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वेट संशोधन (विधिमान्यताकरण) विधेयक, 2011 (क्रमांक 46 सन् 2011) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

7. मंत्रिमंडल पर अविश्वास का प्रस्ताव ...(क्रमशः)

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा का पुनर्ग्रहण -

"यह सदन मुख्यमंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में कार्यरत मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास प्रकट करता है."

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 28 नवम्बर, 2011